



प्रेस नोट- जनपद बिजनौर

दिनांक 04.05.2026

“ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में थाना नजीबाबाद पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से वादी की पुत्री को दहेज के लिए प्रताडित करते हुए हत्या करने से संबंधित आरोपी अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास और कुल 11,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया ।

कार्यवाही:-

दिनांक 07.06.2019 को वादी ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि अभियुक्त शमीम पुत्र अजीमुल्ला निवासी ग्राम सानियान साहनपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर द्वारा वादी की पुत्री को दहेज के लिए प्रताडित करते हुए उसकी हत्या कर दी है । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 293/2019 धारा 302 भादवि व धारा 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया । जिसमे विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

उक्त अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा माननीय न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 04.05.2026 को माननीय न्यायालय ADJ-FTC-I जनपद बिजनौर द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त आमिर शमीम उपरोक्त को आजीवन कारावास व ₹11,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता –

शमीम पुत्र अजीमुल्ला निवासी ग्राम सानियान साहनपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेसनोट-थाना कोतवाली शहर

दिनांक- 04/05/2026

थाना को0 शहर पुलिस द्वारा मु0अ0स0 328/2026 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस से सम्बन्धित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

संक्षिप्त विवरण

अवगत कराना है कि दिनांक 30.04.2026 को वादी ऋषिपाल सिंह पुत्र जगदीश सिंह निवासी गीता कॉलोनी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर द्वारा तहरीर दी गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि अभियुक्तगण 1. कुलवंत सिंह पुत्र मामराज, 2. यशवंत सिंह पुत्र मामराज, 3. पुष्पलता कुमारी पत्नी कुलवंत सिंह, 4. सरिता पत्नी यशवंत सिंह, 5. सरिता पुत्री मामराज, 6. वंश पुत्र यशवंत सिंह, 7. शीला देवी पत्नी मामराज, 8. मामराज पुत्र छंगा सिंह निवासीगण ग्राम पहाड़पुरकला उर्फ मलेशिया थाना शिवालाकला जनपद बिजनौर तथा 9. ललित प्रसाद पुत्र सुखदेव महतो, 10. शारदा सिन्हा पत्नी ललित प्रसाद निवासीगण नंदन रेजिडेंसी, नवाडीह थाना व जनपद धनबाद (झारखण्ड) द्वारा एक राय होकर कूट रचित दस्तावेजों का प्रयोग करते हुए धोखाधड़ी की गई तथा कुलवंत व पुष्पलता के आनुवांशिक पुत्र कार्तिक का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र तैयार कर उसे यशवंत व सरिता का पुत्र दर्शाया गया।



इस संबंध में मु0अ0स0 328/2026 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया है ।

कार्यवाही-

आज दिनांक 04.05.2026 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त कुलवंत सिंह उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया है । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

कुलवंत सिंह पुत्र मामराज निवासी ग्राम पहाड़पुर कलां उर्फ मलेशिया थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर

अभियुक्त कुलवंत सिंह उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 446/2025 धारा 120-B, 494, 506 भादवि थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
2. मु0अ0स0 328/2026 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. रामप्रताप सिंह थानाध्यक्ष थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
2. उ0नि0 उपेन्द्र मलिक थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
3. उ0नि0 अंकुरपाल थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
4. उ0नि0 मोहित थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
5. उ0नि0 ब्राइट फ्लावर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।

6. उ0नि0 विनय कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
7. उ0नि0 कुलवीर सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
8. उ0नि0 धवेन्द्र शर्मा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
9. म0उ0नि0 ममता थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
10. हे0का0 850 नीरज कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
11. हे0का0 758 नासिर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
12. का0 1491 संदीप कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
13. का0 1779 मंजीत थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
14. का0 1036 सुमित थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
15. का0 1514 सन्नी कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
16. का0 1319 अर्पित थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
17. का0 181 रवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
18. का0 368 आकाश थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
19. म0का0 1068 सरिता थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
20. म0का0 873 रेखा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
21. म0का0 471 रेखा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
22. हे0का0 323 मनोज थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेसनोट- थाना कोतवाली शहर दिनांक-04.05.2026

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मु0अ0स0 340/2026 धारा 137(2) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 02/05/2026 को वादी द्वारा थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी गयी कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसके पुत्र को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है ।

इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0स0 340/2026 धारा 137(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था ।

कार्यवाही-

आज दिनांक 04.05.2026 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा वादी के पुत्र को बरामद किया गया तथा प्रकाश में आये अभियुक्त फिरोज पुत्र इश्तखार निवासी मौ0 काजीपाडा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

फिरोज पुत्र इश्तखार निवासी मौ0 काजीपाडा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.उ0नि0 कुलवीर सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
- 2.म0उ0नि0 ममता थाना को0शहर जनपद बिजनौर ।
- 3.हे0का0 420 राजीव कुमार थाना को0शहर जनपद बिजनौर ।
- 4.का0 1036 सुमित कुमार थाना को0शहर जनपद बिजनौर ।
- 5.का0 1566 निखिल थाना को0शहर जनपद बिजनौर ।





जनपद बिजनौर
प्रैसनोट- थाना स्योहारा

दिनांक-04.05.2026

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0स0 149/2026 धारा 103(1)/3(5)/191(2)/140(1) बीएनएस व धारा 3(2)/5 एससी/एसटी एक्ट से संबंधित 03 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 30.04.2026 को वादी श्री नृपेन्द्र सिंह पुत्र कल्लू सिंह निवासी ग्राम जुझैला थाना स्योहारा जनपद बिजनौर द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण 1.पंकज कुमार 2.अतर सिंह पुत्रगण आनन्द सिंह 3. राहुल सैनी पुत्र नरेश कुमार 4. अर्जुन सिंह पुत्र शिशो उर्फ शीशराम समस्त निवासीगण ग्राम रहटौली थाना स्योहारा जनपद बिजनौर और 10 से 15 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा एक राय होकर वादी के पुत्र गुलशन की हत्या कर दी गयी ।



प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर

मु0अ0स0 149/2026 धारा 103(1)/3(5) बीएनएस व धारा 3(2)/5 एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया था । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उपरोक्त अभियोग मे अभियुक्तगण 1.पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र गेंदा सिंह व 2.रजनीश पुत्र चमन निवासी ग्राम रहटौली थाना स्योहारा जनपद बिजनौर सहित अन्य अभियुक्तगण के नाम प्रकाश मे आये ।

कार्यवाही-

आज दिनांक 04.05.2026 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित 03 अभियुक्तगण 1. रजनीश पुत्र चमन सिंह, 2.अतर सिंह पुत्र आनन्द सिंह एवं 3.पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र गेंदा सिंह निवासीगण ग्राम रहटौली थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है । प्रकरण में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर धारा 191(2)/140(1) बीएनएस की वृद्धि की गई है तथा शेष अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीममें प्रयासरत है । अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

पुछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त अतर सिंह उपरोक्त द्वारा बताया गया कि उसकी बहन का गुलशन उपरोक्त के साथ विगत 03-04 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। परिवारजनों द्वारा बार-बार समझाने के बावजूद दोनों द्वारा उक्त संबंध समाप्त न करने तथा हाल ही में आपसी सहमति से कोर्ट मैरिज कर लेने की जानकारी मिलने से अभियुक्त के परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा आहत हुई । इसी कारण अभियुक्तगण अतर सिंह एवं उसके भाई पंकज ने ग्राम के ही पुष्पेन्द्र, रजनीश पुत्र चमन एवं अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर पूर्व नियोजित रूप से गुलशन उपरोक्त को जान से मारने की योजना बनाई ।

दिनांक 29/30.04.2026 की रात्रि में गुलशन के गांव आने पर सभी अभियुक्तगण द्वारा उसका पीछा कर उसे पकड़ लिया और मोटर साइकिल संख्या UP21CF4218 (बजाज CT 100) से गांव से बाहर महमूदपुर रेलवे लाइन के पास ले गए । वहां पूर्व नियोजित योजना के तहत घटना को दुर्घटना का रूप देने के उद्देश्य से ट्रेन आने पर उसे ट्रेन की ओर धक्का दे दिया गया, जिससे वह ट्रेन की चपेट में आ गया और उसकी मृत्यु हो गई । घटना के पश्चात सभी अभियुक्तगण मौके से फरार हो गए।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता -

1. अतर सिंह पुत्र आनन्द निवासी ग्राम रहटौली थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
2. पुष्पेन्द्र पुत्र गेंदा निवासी ग्राम रहटौली थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
3. रजनीश पुत्र चमन निवासी ग्राम रहटौली थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का विवरण -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजय कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
2. उ०नि० श्री यशदेव शर्मा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
3. उ०नि० श्री प्रमोद कुमार शर्मा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
4. उ०नि० श्री असकर खान थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
5. का० 199 अवधेश थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
6. का० 1135 प्रभात शर्मा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
7. का० 02129 लोकेन्द्र थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
8. का० 07 नितेश कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
9. आरक्षी अक्षय कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर
प्रेसनोट-थाना चांदपुर

दिनांक 04.05.2026

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 43/26 धारा 303(2)/317(2)317(5) से
सम्बंधित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

घटना एवं कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 24.01.2026 को वादी श्री मोहम्मद अजीम पुत्र शमशीद निवासी मोहल्ला पतियापाड़ा, कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर द्वारा थाना चांदपुर पर तहरीर दी गयी कि किसी ने उसकी मोटरसाइकिल TVS Apache RTR 160 UP20BY2274 चोरी कर ली है ।

इस संबंध थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 43/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था ।

उक्त प्रकरण में दिनांक 29.01.2026 को बरामदगी एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बयान के आधार पर मुकदमे में धारा 317(2)/317(5) बीएनएस की वृद्धि की गई तथा प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1. कमल पुत्र समरपाल, 2. नदीम पुत्र मुकीम अहमद, 3. नीतू पुत्र करण सिंह, 4. अर्पित कुमार पुत्र गिरिराज, 5. रोबिन कुमार पुत्र महिपाल सिंह, 6. सुमित कुमार पुत्र राजपाल सिंह निवासीगण जनपद बिजनौर को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

विवेचना के दौरान गिरफ्तार अभियुक्तों के बयान के आधार पर अभियुक्त कौशिक सिंह पुत्र समरपाल निवासी ग्राम नारनौर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर का भी नाम प्रकाश में आया, जिसे आज दिनांक 04.05.2026 को गिरफ्तार किया गया है । उक्त अभियोग से संबंधित समस्त माल पूर्व में ही बरामद किया जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

कौशिक सिंह पुत्र समरपाल निवासी ग्राम नारनौर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1.उ0नि0 सागर चौधरी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 2.हे0का0 494 विपिन खोखर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 3.का0 1504 अनिल दयाल थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 4.का0 895 रणजीत मलिक थाना चांदपुर जनपद बिजनौर





**जनपद बिजनौर
प्रेस नोट- थाना किरतपुर**

दिनांक:- 04.05.2026

थाना किरतपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त को चोरी किये गए सामान व घटना मे प्रयुक्त औजार एवं मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10.04.2026 को वादी श्री बृजेश कुमार पुत्र सुनील कुमार निवासी ग्राम भोजपुर खेडी थाना किरतपुर बिजनौर द्वारा थाना किरतपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 09.04.2026 को किसी अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी उपरोक्त के खेत से कुँए की मोटर व तार तथा वादी के पडोसीगण रविन्द्र, मनो, दीपक के खेत पर लगी ट्यूबवैलों से भी तार व स्टार्टर एवं एक मोटर चोरी कर लिया गया । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 0097/2026 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया ।



इसी क्रम में दिनांक 03.05.2026 को वादी श्री वसीम पुत्र हनीफ निवासी ग्राम बुडगरा थाना किरतपुर बिजनौर द्वारा थाना किरतपुर पर लिखित तहरीर दी गई कि दिनांक 03.05.2026 को किसी अज्ञात अभियुक्त द्वारा सोलर प्लेट मे लगे तांबे के तार, 3-4 सोलर प्लेट के तार चोरी कर ली गई । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 123/2026 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही का विवरण-

थाना किरतपुर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त दोनो अभियोगो की घटनाओं मे प्रकाश मे आये अभियुक्त रोहित कुमार पुत्र राकेश कुमार निवासी ग्राम अकबरपुर अंगाखेडी थाना मंडावर जिला बिजनौर को मु0अ0सं 097/2025 धारा 303(2) बीएनएस को मुखबिर खास की सूचना पर चोरी किया गया 4.175 किलोग्राम केबिल (समर सेबिल का जला हुआ तार) व 02-02 व 03-03 मीटर के समर सेबिल के तार/केबिल के टुकडे तथा घटना में प्रयुक्त एक प्लास रंग नीला, एक पेचकस एवं एक लोहे की पत्तीनुमा ब्लेड लगी हुई तथा मोटरसाइकिल स्पलेंडर प्लस रंग काला व सिल्वर पीछे की नम्बर प्लेट पर रजि0 नं0 UP20AA5080 सहित गिरफ्तार किया गया । बरादमगी के आधार पर उपरोक्त अभियोगो में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी । अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

रोहित कुमार पुत्र राकेश कुमार निवासी ग्राम अकबरपुर अंगाखेडी थाना मंडावर जिला बिजनौर ।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0-63/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।
2. मु0अ0स0-97/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।
3. मु0अ0स0- 123/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।

बरामदगी का विवरण-

1. घटना में चोरी किया गया 4.175 किलोग्राम केबिल (समर सेबिल का जला हुआ तार) व 02-02 / 03-03 मीटर के समर सेबिल के तार/केबिल के टुकड़े
2. एक प्लास रंग नीला व एक पेचकस एवं एक लोहे की पत्तीनुमा ।
3. घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल स्पलेंडर प्लस रंग काला व सिलवर जिसके सामने की नम्बर प्लेट पर जय माता दी लिखा हुआ व पीछे की नम्बर प्लेट पर रजि० नं० UP20AA-5080

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ०नि० श्री आशीष पुनिया थाना किरतपुर बिजनौर
2. हे०का० 319 अमित थाना किरतपुर बिजनौर
3. का० 2509 अरविन्द थाना किरतपुर बिजनौर